

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

फैक्स : (079) 23237518
दूरभाष : (079) 23240451, 23240452
फैक्स : (079) 23237518
दूरभाष : (079) 23240451, 23240452
E-mail : gdd.gdc soi@gov.in



निदेशक का कार्यालय / OFFICE OF THE DIRECTOR
गुजरात, दमण एवं दीव भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र
GUJARAT, DAMAN & DIU, G.D.C.,
सर क्रीक भवन,
Sir Creek Bhavan,
सेक्टर-10-ए
Sector 10-A
पोस्ट बॉक्स नं० 1ए गांधीनगर-382010
Post Box No. 01, Gandhinagar-382010

संख्या/No. 2549/17-बी

दिनांक: 11/12/2018

नेमी आदेश सं. 95/17-(बी)

दिनांक- 11 - 12-2018

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समिति, अहमदावाद से प्राप्त सूची अनुसार यह कार्यालय वर्ष 2019 में निम्नलिखित राजपत्रित अवकाशो पर बन्द रहेगा:-

अनुबन्ध -I

क्र.सं.	राजपत्रित अवकाश	दिनांक	सप्ताह का दिन
1.	मकर सक्रान्ति	14 जनवरी	सोमवार
2.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	शनिवार
3.	होली	21 मार्च	गुरुवार
4.	महावीर जयन्ती	17 अप्रैल	बुधवार
5.	गुड फ्राईडे	19 अप्रैल	शुक्रवार
6.	बुध्द पूर्णिमा	18 मई	शनिवार
7.	ईद-उल-फितर	05 जून	बुधवार
8.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	12 अगस्त	सोमवार
9.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	गुरुवार
10.	गणेश चतुर्थी	02 सितम्बर	सोमवार
11.	मुहर्रम	10 सितम्बर	गुरुवार
12.	महात्मा गाँधी का जन्म दिवस	02 अक्टूबर	बुधवार
13.	दशहरा (विजया दशमी)	08 अक्टूबर	मंगलवार
14.	दीपावली	27 अक्टूबर	रविवार
15.	मिलाद-उन-नवी अथवा ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस)	10 नवम्बर	रविवार
16.	गुरु नानक का जन्म दिवस	12 नवम्बर	मंगलवार
17.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर	बुधवार

उपरोक्त राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को अनुबन्ध-II पर दर्शाई गई वैकल्पिक अवकाशो की सूचि में से कोई दो अवकाश लेने की अनुमति भी होगी ।

अनुबन्ध -II


केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, कल्याण सम्नवय समिति, अहमदावाद द्वारा अनुमोदित वर्ष 2019 के लिए प्रतिबंधित अवकाशो की सूची:-

क्र.सं.	अवकाश	दिनांक	सप्ताह का दिन
1.	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी	मंगलवार
2.	पोंगल	15 जनवरी	मंगलवार
3.	श्री पंचमी/ बसन्त पंचमी	10 फरवरी	रविवार
4.	गुरु रविदास जन्म दिवस	19 फरवरी	मंगलवार
5.	शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी	मंगलवार
6.	स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती	01 मार्च	गुरुवार
7.	महा शिवरात्री	04 मार्च	सोमवार
8.	होलिका दहन	20 मार्च	बुधवार
9.	हजरत अली जन्म दिवस	21 मार्च	गुरुवार
10.	चैत्र शुक्लादि/ गुडी पडवा/उगडी/ चैतिचंड	06 अप्रैल	शनिवार
11.	रामनवमी	13 अप्रैल	शनिवार
12.	वैशाखी/ विशु / मसादी	14 अप्रैल	रविवार
13.	वैशाखदी (बंगाल)/ बिहग बिहु (असम)	15 अप्रैल	सोमवार
14.	ईस्टर रविवार	21 अप्रैल	रविवार
15.	गुरु रविन्द्र नाथ का जन्म दिवस	09 मई	गुरुवार
16.	जमात- उल- विदा	31 मई	शुक्रवार
17.	रथ यात्रा	04 जुलाई	गुरुवार
18.	रक्षा बंधन	15 अगस्त	गुरुवार
19.	पारसी नव वर्ष दिवस/ नौरोज	17 अगस्त	शनिवार
20.	जन्माष्टमी	24 अगस्त	शनिवार
21.	ओणम एंव थिरु ओणम दिवस	11 सितम्बर	बुधवार
22.	दशहरा महासप्तमी (अतिरिक्त)	05 अक्टूबर	शनिवार
23.	दशहरा महासप्तमी (अतिरिक्त)	06 अक्टूबर	रविवार
24.	दशहरा (महा नवमी)	07 अक्टूबर	सोमवार
25.	महर्षि वाल्मिकी जी का जन्म दिवस	13 अक्टूबर	रविवार
26.	करक चतुर्थी (करवाचौथ)	17 अक्टूबर	गुरुवार
27.	नरक चतुर्दशी	27 अक्टूबर	रविवार
28.	गोवर्धन पूजा	28 अक्टूबर	सोमवार
29.	भाई दूज	29 अक्टूबर	मंगलवार
30.	प्रतिहार षष्ठी अथवा सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)	02 नवम्बर	शनिवार
31.	गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस	24 नवम्बर	रविवार
32.	क्रिसमस की पूर्व संध्या	24 दिसम्बर	मंगलवार

इन वैकल्पिक अवकाशों को लेने के लिए पहले लिखित रूप में अनुमति लेनी होगी और सामान्यतः उस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत है। आकस्मिक अवकाश पंजिका में लाल स्याही से वैकल्पिक अवकाश दर्ज किया जायेगा। जहाँ तक संभव हो फील्ड में जाने वाले रिसेस के दौरान वैकल्पिक अवकाश उपयोग में लायेंगे।

भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. एल.36085/876-ए, दिनांक 20-09-85 के अंतर्गत फील्ड कर्मचारी रिसेस के दौरान आने वाली छुट्टियों को ही मनायेंगे। फील्ड कार्य के दौरान प्रत्येक माह, माह के दूसरे शनिवार को "ऑफ डे" के रूप में उपयोग किया जायेगा। फील्ड कार्य के दौरान अन्य अधिसूचित अवकाश के उपयोग में न लाये जाने के संदर्भ में फील्ड कर्मचारियों को समांतर संख्या में छुट्टियों की प्रतिपूर्ति आने वाले रिसेस में की जायेगी तथा प्रतिपूर्ति छुट्टी अगले वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं की जायेगी। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा गाँधी जयंती को बंद अवकाश (Closed holiday) के रूप में मनायेंगे चाहे वे फील्ड में हो या मुख्यालय में हो।

सभी अवकाशों में तत्काल कार्य निपटाने के लिये अवकाश व्यवस्था की जायेगी और इसके लिए छुट्टी रोस्टर रखा जायेगा। अवकाश के दिन भी कर्मचारी ड्युटी के लिये तैनात किया जायेगा तथा उस छुट्टी के स्थान पर आगामी किसी दिन प्रतिपूरक अवकाश ले सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिपूरक छुट्टी ड्युटी करने के एक माह के अंदर लेनी होगी, उसके उपरांत प्रतिपूरक अवकाश जमा नहीं होगा। प्रतिपूरक अवकाश के लिए राजपत्रित अधिकारी पात्र नहीं होंगे।


(आशीष कौशल)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

- (1) भारत के महासर्वेक्षक देहरादून को सूचनार्थ
 - (2) अपर महासर्वेक्षक, प.क्षे., जयपुर एवं अन्य महासर्वेक्षक कार्यालयों को सूचनार्थ।
 - (3) निदेशक, राजस्थान जी.डी.सी. जयपुर एवं अन्य निदेशालयों को सूचनार्थ।
 - (4) क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ।
 - (5) स्थापना एवं लेखा अधिकारी को सूचनार्थ।
 - (6) मंत्रालयिक अनुभाग / गोपनीय अनुभाग / अंकीयकरण अनुभाग / तकनीकी अनुभाग / अभिलेख एवं मानचित्र विक्रय अनुभाग / संपदा एवं गेस्ट हाउस/परीक्षण अनुभाग एवं भंडार अनुभाग को सूचनार्थ।
 - (7) प्रभारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग वेबसाइट को Website पर अपलोड करने हेतु।
 - (8) फाईल सं. 37- जी-9/37- जी-10/ गार्ड फाईल/ नोटिस बोर्ड।
- } ई-मेल द्वारा।